

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1) रवि कुमार पिता- गणेश साव 2) सुजाता कुमारी पति- मुकेश कुमार ; ग्राम: आरा , थाना : बालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा थाना सं. 55 (रैयती भूमि) के खाता सं. - 173; के अधीन प्लॉट सं.- 1539 (CNT Plot) ; के खाता सं. - 172 के अधीन प्लॉट सं.- 1654 (CNT Plot); के खाता सं. - 68 के अधीन प्लॉट सं.- 1076, 1077, 1193, के खाता सं. - 69 के अधीन प्लॉट सं.- 1071; के खाता सं. - 137 के अधीन प्लॉट सं.- 772, 1009, 769; के खाता सं. - 130 के अधीन प्लॉट सं.- 1530; के खाता सं. - 60 के अधीन प्लॉट सं.- 1574 (CNT Plot) ; के खाता सं. - 135, के अधीन प्लॉट सं.- 2457, 2485, 2462, 2204, 1077, 738, 809, 917 ; के खाता सं. - 83 के अधीन प्लॉट सं.- 2486 ; के खाता सं. - 137 के अधीन प्लॉट सं.- 1009; कुल रकबा: - 04.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध - संघमित्रा), सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

रवि कुमार
मुरघ्य प्रबंधक (भूमि)
शु. राजस्व
१-६/०७/२०२५